## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
## (ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकामः– जैतारण
ईजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. परसा पुत्र हमीर जाति–रावत निवासी–चैनपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज०।

1. नाथू पुत्र मुगना
2. बाबू पुत्र छोगा
3. हापु पुत्र छोगा
4. सुखा पुत्र किशना
5. रामनिवास पुत्र किशना
6. सोहनी पत्नी किशना जातिगण जाट निवासीगण–सेवरिया, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज०
7. पूना पुत्र भीका
8. सावराराम पुत्र भीका
9. लिछमण पुत्र भीका
10. प्रेमी पत्नी घासीराम
11. गोरधनराम पुत्र घासीराम
12. चैना पुत्र डूंगा
13. सुगनाई बेवा डूंगा(विलोपित)
14. सुरजकरण पुत्र हरजी
15. रामकरण पुत्र हरजी
16. छगनाई बेवा हरजी
17. नैनी पत्नी देवाराम
18. अमराराम पुत्र मांगू जातियान–रावत, निवासीगण–चैनपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज०।
19. तहसीलदार, जैतारण जिला–ब्यावर।

1.उपपंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला–ब्यावर राज०।

<u>राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88, 188,</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु०न० :– रा०वा० स०: 03/2020
निर्णय व डिक्री दिनांक :– 19.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........–........ व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीया अंतर्गत आदेश धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज० में स्थित खसरा नम्बर 803 रकबा 16–18 बीघा में से मुताबिक पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 23.02.1972 के क्रेता वादी को

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

/3 हिस्सा अर्थात् 05-13 बीघा का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा तिवादीगण संख्या 01 से 06 का नाम वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से 1/3 हिस्से तक विलोपित करते हुए इनके स्थान पर वादी परसा पुत्र हमीर का नाम दर्ज करते हुए क्रेता/वादी को उसके हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार की बेजा दखलादांजी नहीं करें तथा न ही वादी को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। यदि दौरान-ए-वाद विचारण प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 द्वारा उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी में से किसी प्रकार का रहन बैचान हस्तान्तरण आदि न्यायालय को बिना सूचित किये किया गया हो तो ऐसा कृत्य वादी के हक हिस्से तक प्रभाव शून्य होगा। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 19/02/2025 को जारी किया गया ।

मोहर

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला– ब्यावर (राज.)

| मुद्दई | रूपये पैसे | मुद्दायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 02-00 | स्टाम्प वकालतनामा | / |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02-00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | - | मेहनताना वकील | |
| महनताना वकील | - | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | 25-00 | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | - | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | - | मुत्फरिक | |
| मिजानः– | 29-00 | मिजानः– | — Nil — |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।